

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 545/आउशि/सेमेस्टर/08
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/12/08

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:-सेमेस्टर पद्धति के दौरान पुराने पद्धति से अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई के संबंध में।

-0-

कतिपय महाविद्यालयों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि सेमेस्टर पद्धति के दौरान पुरानी पद्धति से शिक्षारत स्नातक द्वितीय एवं तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष कक्षाओं को बिना शासन की अनुमति के बंद कर दिया गया है।

शासन के यह स्पष्ट निर्देश थे कि पुरानी पद्धति से चलने वाली कक्षाओं को पुराने अकादमिक कैलेंडर के अनुसार संचालित किया जाये जिसमें नवम्बर दिसम्बर एक माह का अवकाश नहीं था।

कृपया इस संबंध में अपने महाविद्यालय की स्थिति आज शाम तक ई-मेल के माध्यम से सेमेस्टर सेल को भिजवाना सुनिश्चित करें और यदि आपके द्वारा महाविद्यालय की द्वितीय वर्ष की कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया तो अतिरिक्त कक्षाएँ लगाकर उनकी उपस्थिति की पूर्ति करें किसी भी हालत में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति एवं 180 दिन से कम कक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने का अवसर न दिया जाये।

आपको यह जानकारी हर्ष होगा कि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या 90 प्रतिशत से उपर है। अतः निश्चित रूप से पुरानी पद्धति से अध्ययनरत छात्रों को भी

him

यदि अध्ययन-अध्यापन का अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जायें तो उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक हो सकती है ।

जहाँ तक अतिरिक्त कक्षायें लगाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ अतिरिक्त कक्षायें लगाने की जानकारी की एक प्रति कलेक्टर कार्यालय को अवश्य दी जायें ताकि इस कार्यालय से अधिकारी भेजकर अतिरिक्त कक्षाओं के अध्ययन की जाँच की जायें ।

Ashish

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा

पृष्ठांकन क्रमांक 546 / सेमेस्टर / 08
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 29/12/08

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग भोपाल ।

Ashish

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा